कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(अभियंत्रण अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक–अभि0– / 630 / कम्पनी पत्रा0 / 2026–27 / लखनऊ / दिनांक– 04 जून, 2026

प्रबन्ध निदेशक,
समस्त कृषि यंत्र निर्माता कम्पनी।

विषय– कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को इम्पैनलमेन्ट हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

समस्त कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में इम्पैनलमेन्ट हेतु निम्न बिन्दुओं का पालन किया जाना है–

1. कृषक द्वारा कृषि यंत्र का कय, मात्र इम्पैनल्ड यंत्र निर्माता से ही ख़रीद अनुमन्य है, और उनके स्तर से अपने डीलरों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल पर किया जाता है। यंत्र निर्माता अपने डीलरों को यह निर्देश जारी करेंगे कि जिन डीलरों का पंजीकरण पोर्टल पर नहीं है, वे कृषकों को यंत्रों का विकय नहीं करेंगे।

2. यंत्र निर्माता अपने डीलरों को यह भी निर्देश जारी करेंगे कि डीलरों द्वारा कृषकों को ऐसे यंत्रों का विकय नहीं करेंगे, जो राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नहीं किये गये हैं।

3. उपरोक्त बिन्दु– 1 व 2 की स्थिति की दशा में यंत्र निर्माता, कृषकों को प्राप्त न होने वाले अनुदान के लिए उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त के कम में समस्त यंत्र निर्माता कम्पनियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

Digitally signed by
NARENDRA KUMAR
Date: 04-06-2026
17:43:30

संयुक्त कृषि निदेशक(अभि0)
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक–अभि0– / 630 / कम्पनी पत्रा0 / 2026–27 / लखनऊ / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कृषि निदेशक उ0प्र0, महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. हैदराबाद मेपसेट्स इण्डिया, बी–329 / मैपसेट्स, 13 / 19 आर0बी0सी0, नन्जल राय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित समस्त कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित करने का कष्ट करें।

संयुक्त कृषि निदेशक(अभि0)
कृषि भवन, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner